an>

Title: Need to issue BPL cards to all old-age people, physically challenged and widows to enable them get pensions under various welfare schemes**.**

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : सरकार का पूरा प्रयास है कि वृद्ध एवं वृद्धा, विकलांग एवं विधवा महिलाओं इत्यादि सभी को पेंशन सुविधा मिले, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में यह प्रावधान बना रखा है कि जिन वृद्ध, वृद्धा, विकलांग एवं विधवा महिलाओं के पास बी.पी.एल. कार्ड है उन्हें पेंशन की सुविधा मिल पाएगी। अगर इन वर्गों के पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है तो इन वर्गों को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन एवं महिला विधवा पेंशन नहीं मिल सकती है। दुख के साथ सरकार को सूचित करना पड़ा रहा है कि इन वर्गों के बी.पी.एल. कार्ड भी नहीं बनाये जा रहे हैं, जिसके कारण जरूरतमंद लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। इस सरकार को यह बताते हुए खेद महसूस हो रहा है कि जो बी.पी.एल. कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन लोगों के पास बी.पी.एल. कार्ड हैं और जिन लोगों के पास बी.पी.एल. कार्ड होना चाहिए, उनके पास बी.पी.एल. कार्ड नहीं है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पूर्व में जो बी.पी.एल. सूची बनाई गई है, उसमें भारी घोटाला है। उसको रद्द किया जाए एवं पंचायत स्तर पर नई सूची तैयार की जाए, जिससे विकलांग, विधवा एवं गरीब परिवार के सभी लोग जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई, उन सभी को पेंशन पाने का अधिकार मिले, इसकी व्यवस्था की जाए एवं इस संबंध में नियमों को भी सरल बनाया जाए।